जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

क्रमांक :– LADCS/विज्ञप्ति/2026/134 दिनांक :–25 मार्च 2026

:: विज्ञप्ति ::

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर के पत्रांक 7221–7257 दिनांक 24.03.2026 के क्रम में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पाली के कार्यालय लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम, पाली हेतु निम्नानुसार पूर्णतया अस्थायी तौर पर अनुबंध के आधार पर निम्न पदों हेतु कार्मिक विभाग के परिपत्र क्रमांक प.17(10)डीओपी/ए–2/94 दिनांक 28.03.2023 के अनुसार एक वर्ष के लिए सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की सेवाएं लिये जाने हेतु न्याय विभाग व अन्य राजकीय विभागों के सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते है –

क्र.सं.	पद का नाम	पदों की संख्या	देय मासिक मानदेय/पारिश्रमिक
1	Office Assistant-	3	14,000/–
2	Receptionist cum Data Entry Operator	1	14,000/–
3	Office Peon	3	11,000/–
	कुल योग	7	

आवेदन पत्र पूर्ण विवरण सहित इस कार्यालय को दिनांक 07.04.2026 को कार्यालय समय में दोपहर 2 बजे तक जरिये ई–मेल/डाक/व्यक्तिशः प्रस्तुत कर सकते है। इसके पश्चात् प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जावेगा।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
पाली

क्रमांक :– LADCS/विज्ञप्ति/2026/2770–2778 दिनांक :–25 मार्च 2026

प्रतिलिपि निम्नालिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. श्रीमान् सदस्य सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. श्रीमान् अध्यक्ष/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, समस्त।
3. श्रीमान् जिला कलेक्टर, पाली को समस्त अधीनस्थ विभागों/PSUs में सूचित करने बाबत्।
4. समस्त न्यायालय, पाली न्यायक्षेत्र।
5. अध्यक्ष, तालुका विधिक सेवा समिति, समस्त तालुका जिला पाली।
6. जन सम्पर्क अधिकारी, पाली को समाचार–पत्रों में प्रकाशन हेतु।
7. जिला नियोजन अधिकारी, पाली।
8. सिस्टम ऑफिसर, जिला न्यायालय की वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
9. नोटिस बोर्ड, कार्यालय हाजा।

अध्यक्ष
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)
पाली

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली

(राज्य सरकार के सेवानिवृत्त अधिकारी/कर्मचारी के सम्बन्ध में संविदा पुनर्नियुक्ति सेवाएं लेने के लिये)

आवेदन पत्र

1. सेवानिवृत्त कर्मचारी का नाम :—
2. पिता/पति का नाम :—
3. जन्म तिथि:—
4. अधिवार्षिकी आयु प्राप्ति की दिनांक
5. पता मय मोबाईल नम्बर :—

5. आयु :— वर्ष माह दिन
6. अर्हताएं :—
7. मूल विभाग का नाम :—

8. सेवानिवृत्ति से पूर्व धारित पद :—

9. अनुभव :—

10. सेवानिवृत्ति के समय मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड वेतन, ग्रेड पे) एलपीसी संलग्न करें।
11. मूल पेंशन राशि (पीपीओ की प्रति संलग्न करें।)
12. धारित पद का वेतनमान (सेवानिवृत्ति के समय)
13. विभागाध्यक्ष का प्रमाण पत्र (संलग्नानुसार)
14. पदनाम जिसके लिए कर्मचारी द्वारा आवेदन किया जा रहा हैं.....

(हस्ताक्षर मय दिनांक)

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पाली
(अपर जिला न्यायाधीश)

सेवानिवृत्त कर्मचारी द्वारा हस्ताक्षरित किये जाने के लिये वचनबंध

अधोहस्ताक्षरी राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों को लिए राज्य सरकार द्वारा जारी परिपत्र एवं माननीय राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर से प्राप्त आदेशों/निर्देशों में दिये गये सहमत निर्बधनों और शर्तो के अनुसरण में अपनी सेवानिवृत्ति के पश्चात् राज्य सरकार में संविदात्मक पुनर्नियुक्ति सेवाओं को स्वीकार करने का इच्छुक है। अधोहस्ताक्षरी संविदात्मक वचनबंध के उक्त निर्बधनों और शर्तो को मानने के लिए इसके द्वारा सहमत है और वचन देता है।

दिनांक :—
स्थान :—

हस्ताक्षर

विभागाध्यक्ष का प्रमाण–पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर दिये गये आवेदन प्रारूप में बिन्दु संख्या 1 से 14 तक तथ्य सत्य पाये गये है और श्री/श्रीमती पुत्र/पत्नी जो सेवानिवृत्ति से पूर्व पद पर विभाग में कार्य कर रहा था, के सम्वन्ध में विभाग में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर सत्यापित किये जाते है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि विभाग में सेवा की कालावधि के दौरान श्री/श्रीमती की सेवा और व्यवहार संतोषजनक रहा था और सरकार में संविदात्मक वचनबन्ध के विचार के लिए उसकी अभ्यर्थिता की इसके द्वारा सिफारिश की जाती है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि सेवानिवृत्ति के समय श्री/श्रीमती रूपये मासिक मूल वेतन (रनिंग पे बैण्ड, ग्रेड पे) आहरित कर रहा था/कर रही थी और कि श्री/श्रीमती अधिवार्षिक आयु पूर्ण होने पर सेवानिवृत्त हो गया/गयी है और श्री/श्रीमती के विरूद्व कोई विभागीय जांच/आपराधिक मामला लम्बित नहीं है तथा इनकी सेवाएं जिस पद के विरूद्व ली जा रही है, उससे किसी प्रकार से नियमित कार्मिक की पदोन्नति पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होगा।

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण,
(अपर जिला न्यायाधीश), पाली

विभागाध्यक्ष के हस्ताक्षर
मय सील